

फा.सं.के-11022/08/2020-(लो.शि.-नीति) (6581)

भारत सरकार
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(लो.शि प्रभाग)

5वां तल, सरदार पटेल भवन,

संसद मार्ग, नई दिल्ली,

दिनांक : 29 मई, 2020

कार्यालय जापन

विषय: आम जन से पत्राचार के संबंध में सरकारी नियमावली/ दिशानिर्देश - राजभाषा अधिनियम के बारे में।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत का जवाब अंग्रेजी में मिला है, हालांकि उसने अपनी शिकायत हिंदी में प्रस्तुत की है और वह अंग्रेजी समझने में सक्षम नहीं है।

अतः सभी मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों से अनुरोध है कि शिकायतों का जवाब देते समय राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 6 के प्रावधानों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त यह बल दिया जाता है कि यदि शिकायत हिंदी में दर्ज की जाती है, तो जबाव भी हिंदी में ही दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि सीपीजीरैम्स में लोक शिकायत अधिकारियों द्वारा अंतिम जबाव हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने की सुविधा है।

*प्रिस्का
29/5/2020*

[प्रिस्का मैथ्यू]

उप सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 011-23401429

प्रति

1. नोडल अधिकारी (पीजी), सभी मंत्रालय/ विभाग।

2. एनआईसी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को pgportal.gov.in पर अपलोड करने हेतु। *—VW
29/5/2020*